भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1168

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

1168. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों की डिग्री रोकने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार किस सीमा तक कॉलेजों और पंजाब राज्य सरकार के बीच वित्तीय विवादों को हल करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुदान/संवितरण में देरी हो रही है और छात्रों की डिग्री रोकी जा रही है;

(ग) अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर उनकी छात्रवृत्ति प्राप्त हो, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रगति और रोजगार के अवसरों पर कोई प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस विलंब के लिए जिम्मेदार प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत धन के प्रबंधन और संवितरण की कोई जांच शुरू की है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों की डिग्री रोकने का कोई मामला किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से नहीं आया है सिवाय पंजाब राज्य के जहां वैसे छात्रों द्वारा रिट याचिक दायर करने का मामला ज्ञात हुआ है जिनकी डिग्रियां रोकी गई हैं। वर्तमान में, उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) और (ग): इस मंत्रालय ने पंजाब राज्य सरकार को पात्र लाभार्थियों को देय सभी छात्रवृत्तियाँ जारी करने के लिए दिनांक 8 जून, 2020 और 17 सितंबर, 2020 को पत्र जारी किए थे।

इसके अलावा, पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 12.08.2022, 25.07.2024 और 08.08.2024 के पत्रों के माध्यम से छात्रों की डिग्री न रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की व्यापक समीक्षा की गई और वर्ष 2020-21 से इसे संशोधित किया गया। संशोधित योजना की मुख्य विशेषता में ऑनलाइन एंड टू एंड प्रोसेसिंग, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, संस्थानों द्वारा दोहरेपन और गलत दावों को रोकने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से पात्रता मानदंडों का सत्यापन शामिल है। यह योजना बहुत कम या बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से प्रमाणित डाटाबेस का उपयोग करके डिजिटल रूप से सत्यापन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करती है।

*****